बच्चों के लिए बजट घोषणा 2013–14

दिनांक 6 मार्च 2013 को राज्य के मुख्यमंत्री जो कि वित्त मत्री भी है, उनके द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में बच्चों के संदर्भ में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं का संकलन

64. हमारी एक अन्य फ्लैगशिप योजना, **राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना** के आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। माह अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 लाख 47 हजार संस्थागत प्रसव हुए, 16 लाख 40 हजार महिलाओं एवं 3 लाख 16 हजार शिशुओं को निःशुल्क दवा तथा 98 लाख महिलाओं एवं 85 हजार शिशुओं को निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आगामी वर्ष, 1–1 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों (District Hospitals) में लेबर रूम्स का उच्चीकरण एवं मरम्मत के कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

76. गत वर्षों की बजट घोषणाओं के अंतर्गत 20 जिलों में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह प्रारंभ किये गये हैं। शेष 13 जिलों, अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, करौली, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ में भी मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

81. पालनहार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को 675 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 1 हजार रुपये प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी करने की, मैं घोषणा करता हूँ।

82. प्रदेश में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु ''राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड'' का गठन किया गया है। आगामी वर्ष, इन जातियों को आवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष योजना लागू की जायेगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

83. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रावृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंशदान के अतिरिक्त, राज्य योजना मद में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रा विद्यार्थियों को निर्धारित वरीयतानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रावृत्ति देना प्रस्तावित है।

85. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों हेतु छात्रावास, आवासीय विद्यालय, वृद्धाश्रम, विशेष योग्यजन विद्यालय, नारी निकेतन, बालगृह आदि संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थाओं के आवासियों की मैस भत्ते की राशि 1 हजार 250 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 750 रुपये प्रतिमाह प्रति आवासी करने की, मैं घोषणा करता हूँ। इस बढ़ोतरी से 901 विभागीय छात्राावासों एवं आवासीय विद्यालयों और अन्य संस्थानों में रह रहे 41 हजार से अधिक आवासी लाभान्वित होंगे।

86. राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु छात्राावासों की छात्रा क्षमता में आगामी वर्ष 2 हजार 500 की वृद्धि की जायेगी।

87. गत बजट में, अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले 100 संबल गाँवों के समग्र विकास के साथ–साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2013–14 में एक हजार संबल गाँवों के समग्र विकास हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है। इस राशि से ऐसे गाँवों की अनुसूचित जाति की बस्तियों में आधारभूत संरचना के निर्माण के अतिरिक्त स्वास्थ्य, पेयजल एवं सेनीटेशन के कार्य करवाये जायेंगे।

92. प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य 23 विकास खण्डों में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक छात्राावास खोले जायेंगे, जिस हेतु वर्ष 2013–14 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्राों में 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोलना भी प्रस्तावित है, जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

93. 'मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना' के विस्तार हेतु, वर्ष 2013–14 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

94. आगामी वर्ष, मदरसों हेतु 1 हजार 500 कंप्यूटर पैराटीचर्स तथा 1 हजार 500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की जायेगी। मदरसा पैराटीचर्स की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में 1 जुलाई 2013 से 600 से 800 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जायेगी।

95. प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं द्वारा बारहवीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर, उन्हें 'स्कूटी' देने की मैं घोषणा करता हूँ।

96. हमनें अल्पसंख्यक युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु 15 ITIs स्थापित किये हैं। आगामी वर्ष, ऐसे ही 20 और ITIs की स्थापना की जायेगी।

98. अल्पसंख्यक वर्गों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्राों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013–14 में 200 करोड़ रुपये के अंशदान से 'अल्पसंख्यक विकास कोष' के गठन की, मैं घोषणा करता हूँ।

101. अनुसूचित (TSP) क्षेत्र के जिन गाँवों में, वर्तमान में स्वास्थ्य सहयोगिनियां कार्यरत नहीं हैं, वहाँ लगभग 3 हजार 500 नई स्वास्थ्य सहयोगिनियों का चयन कर, स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

102. अनुसूचित जनजाति छात्रावासों, आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में रह रहे छात्रों का मैस भत्ता 1 हजार 250 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार 750 रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है। इस बढ़ोतरी से 275 विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के 21 हजार से अधिक छात्रा लाभान्वित होंगे। जनजाति विभाग द्वारा संचालित 100 से अधिक क्षमता वाले छात्रावासों में रसोईये का एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की छात्रा क्षमता में आगामी वर्ष 1 हजार 500 की वृद्धि की जायेगी।

106. जनजाति विभाग के अधीन समस्त आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में 13 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्रा स्थापित किये जायेंगे। आश्रम छात्राावासों एवं स्कूलों में पेयजल, शौचालय, अधीक्षक आवास, चौकीदार आवास तथा कन्या छात्राावासों की चारदीवारी से संबंधित निर्माण कार्य करवाये जायेंगे, जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये है।

111. प्रदेश में बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से पृथक से एक बाल निदेशालय स्थापित करने की, मैं घोषणा करता हूँ।

112. समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आते हैं। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले प्रत्येक बच्चे को 2 यूनिफार्म उपलब्ध कराई जायेंगी, जिस पर 50 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्चा होगा एवं इससे लगभग 12 लाख 23 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

114. राज्य में लिंगानुपात एक चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने हेतु 'शुभ लक्ष्मी' योजना लागू की जायेगी, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपये वार्षिक आय तक के परिवारों की, 1 अप्रेल 2013 व उसके पश्चात्, यदि गर्भवती महिला तीन एएनसी (Antenatal Care) विजिट कर संस्थागत प्रसव से बालिका को जन्म देती है तो उस महिला को, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुमत राशि के अतिरिक्त, एक हजार रुपये की राशि दी जायेगी। बालिका की आयु 1 वर्ष होने तथा टीकाकरण संबंधी नोर्म्स पूरे होने पर 1 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। बालिका की आयु 5 वर्ष होने एवं स्कूल में प्रवेश लेने पर 2 हजार रुपये की राशि और देय होगी। यह राशि उन्हीं परिवारों को देय होगी, जिनमें जन्म लेने वाली बालिका को मिलाकर 2 से अधिक संतान नहीं हो। लाभान्वित परिवारों में तीसरी संतान होने की स्थिति में उन परिवारों को आगे की राशि देय नहीं होगी।

115. महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों के मानदेय में निम्नानुसार बढ़ोतरी प्रस्तावित है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा :–

पद नाम	मानदेय की वर्तमान दर	प्रस्तावित दर वृद्धि	(प्रतिमाह)

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता	3 हजार 630 रुपये	4 हजार 330 रुपये	700 रुपये
मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता	1 हजार 815 रुपये	2 हजार 315 रुपये	500 रुपये
आँगनबाड़ी सहायिका	1 हजार 815 रुपये	2 हजार 315 रुपये	500 रुपये
साथिन	1 हजार 500 रुपये	2 हजार रुपये	500 रुपये
आशा सहयोगिनी	1 हजार 100 रुपये	1 हजार 600 रुपये	500 रुपये

116. महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मानदेय पर नियोजित कार्मिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु आँगनबाड़ी कल्याण कोष में 100 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करता हूँ। इस कोष के माध्यम से इन महिला कार्मिकों को निम्नानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगीः–

ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर; ' मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये,
' गंभीर रूप से चोटग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये, तथा ' साधारण रूप से चोटग्रस्त होने पर इन्डोर उपचार हेतु 5 हजार रुपये। हृदय, कैंसर अथवा किडनी के रोग से ग्रस्त होने पर इलाज हेतु 1 लाख रुपये तक की सहायता; पुत्रा–पुत्रियों हेतु प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट–मैट्रिक स्कॉलरशिप।

164. राज्य के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु प्रत्येक जिले में एक–एक करोड़ रुपये की लागत से छात्रावासों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर वर्तमान में दी जा रही 75 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जायेगा। साथ ही, चिकित्सा अनुदान की राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

165. निर्माण श्रमिकों के पुत्र–पुत्रियों को वर्तमान में दी जा रही वार्षिक छात्रवृत्ति की दर को बढ़ाकर दुगुना करना प्रस्तावित है। बढ़ी हुई दरों के अनुसार कक्षा 6 से 8 में छात्राों को 1 हजार रुपये, छात्रााओं को 1 हजार 500 रुपये, कक्षा 9 से 12 में छात्रों को 2 हजार रुपये, छात्राओं को 2 हजार 400 रुपये, स्नातक स्तर पर छात्राों को 3 हजार रुपये, छात्राओं को 4 हजार रुपये, डिप्लोमा स्तर पर छात्रों को 4 हजार रुपये, छात्राओं को 5 हजार रुपये एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राों को 6 हजार रुपये, छात्राओं को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रावृत्ति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देय होगी।

167. आगामी वर्ष 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में माध्यमिक विद्यालय संचालित हों, इस हेतु आवश्यकतानुसार और विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।

168. तहसील स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, तीनों संकायों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नये संकाय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके

अतिरिक्त, आगामी वर्ष 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय खोले जायेंगे।

169. नये खुलने वाले विद्यालयों एवं छात्रा–शिक्षक अनुपात में सुधार की दृष्टि से वर्तमान में 20 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 20 हजार पद, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 10 हजार पद एवं शारीरिक शिक्षकों के 5 हजार पद सृजित करने की, मैं घोषणा करता हूँ। शारीरिक शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में योग का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इस हेतु शारीरिक शिक्षकों के सेवा नियमों में स्थाईकरण से पहले योग का प्रशिक्षण देने की योग्यता अर्जित करना अनिवार्य किया जायेगा। विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा एवं गांधी अध्ययन भी जोड़ा जायेगा।

170. सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अंग्रेजी विषय के 1 हजार 200 व्याख्याताओं एवं हिन्दी विषय के 1 हजार 500 व्याख्याताओं के एवं अन्य विषयों के 2 हजार व्याख्याताओं के पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, उर्दू विषय में व्याख्याताओं के 1 हजार पद तथा द्वितीय श्रेणी उर्दू अध्यापकों के 1 हजार नवीन पद सृजित किये जायेंगे तथा चयनित विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू के अध्ययन का विकल्प उपलब्ध करवाया जायेगा।

171. वर्ष 2013–14 में 6 हजार से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक–एक पद कनिष्ट लिपिक का एवं 1 हजार से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक–एक पद वरिष्ठ लिपिक का सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों हेतु 150 कनिष्ट लिपिक, 351 वरिष्ठ लिपिक एवं 437 एसडीआई के पदों का सृजन कर आगामी वर्ष में इनको भरने की कार्रवाई की जायेगी।

172. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हमनें पूर्व में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, राजकीय विद्यालय की नवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रदेश की प्रत्येक बालिका को साईकिल उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट वाऊचर योजना के अंतर्गत 5 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की दर को बढ़ाकर 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस अथवा विद्यालय आने जाने का वास्तविक किराया, जो भी कम हो, की सुविधा छात्राओं को देय होगी।

173. राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10–10 हजार, आठवीं कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने की योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना का और विस्तार करते हुए कक्षा आठवीं में विद्यालय में दूसरे से ग्यारहवाँ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लगभग 6 हजार रुपये मूल्य के 'टेबलेट–पीसी' उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके फलस्वरूप, आगामी वर्ष में, प्रदेश के लगभग 55 हजार बालक–बालिकाओं को 'लैपटॉप' एवं

लगभग 3 लाख 50 हजार बालक–बालिकाओं को 'टेबलेट–पीसी' उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उनको कंप्यूटर व इंटरनेट के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

174. राज्य के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 में 10 हजार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भी पुस्तकालयों की स्थापना की जायेगी।

175. वर्तमान में 116 पंचायत समिति मुख्यालयों पर सार्वजनिक पुस्तकालय भवनों का निर्माण हो चुका है। शेष पंचायत समिति मुख्यालयों पर आगामी दो वर्षों में पुस्तकालय भवनों का निर्माण कर इन्हें कार्यशील बनाने की योजना है। आगामी वर्ष 70 पुस्तकालय भवनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, भरतपुर के हिन्दी साहित्य समिति पुस्तकालय को आगामी वर्ष 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

177. गत बजट में मैंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रा–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रावृत्ति की दरें बढ़ाने की घोषणा की थी। वर्ष 2013–14 से पूर्व मैट्रिक छात्रावृत्ति की दरें और बढ़ाते हुए, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 50 रुपये के स्थान पर 75 रुपये प्रतिमाह एवं छात्राओं को 100 रुपये के स्थान पर 125 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावृत्ति का भुगतान किया जायेगा। साथ ही, कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रतिमाह एवं छात्राओं के लिए 120 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये प्रतिमाह की जायेगी। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 9 लाख छात्र–छात्रायें लाभान्वित होंगे एवं 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

180. शैक्षिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 'शैक्षिक सहायकों' के एक नये संवर्ग के सृजन की मैं घोषणा करता हूँ। शैक्षिक सहायकों द्वारा मुख्यतः स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का सर्वे कर, उन्हें स्कूल में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित करने, ड्रॉपआउट्स की ट्रेकिंग करने एवं मिड–डे मील व्यवस्था सँभालने के साथ–साथ अनुशासन, स्वच्छता एवं सहशैक्षिक गतिविधियों के संचालन इत्यादि का कार्य किया जायेगा। आगामी वर्ष 40 हजार शैक्षिक सहायकों के पद सृजित कर, नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, 10 हजार प्रबोधकों के भी पद सृजित कर, नियमित नियुक्तियां की जायेंगी। साथ ही, दूरदराज की एक हजार आँगनबाड़ियों में प्री–स्कूल शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे, जिन पर एनटीटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

191. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बालिकाओं को किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी सुरक्षा हेतु सक्षम बनाया जाये। अतः महाविद्यालयों एवं स्कूल की छात्राओं के लिए self defence courses आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इन कोर्सेज के संचालन हेतु महिला शारीरिक शिक्षकों को भी आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।

245. आमजनों में सुरक्षा की भावना बनाये रखने एवं अपराध नियंत्राण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 9 हजार 177 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में एक—एक ग्राम रक्षक नियुक्त किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की सभी पंचायत समितियों के एक—एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 'स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना' लागू की जायेगी।